संख्या-37/2018/1472/46-1-18-1000(79)/2017

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलन्दशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती तथा कुशीनगर ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2018

विषयः- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या-558/12-निर्माण:अ.ग्रा., दिनांक 13-7-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण योजना हेतु निर्धारित फंडिगं पैर्टन 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित की धनराशि रू. 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष जनपद **सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलन्दशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती तथा कुशीनगर** के कुल 81 सम्पर्क मार्गों/सड़कों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक तालिका में उनके सम्मुख कालम-6 में अंकित कुल लागत रू. 3749.494 (रूपये सैंतीस करोड़ उन्चास लाख उन्चास हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एवं तालिका के कालम-7 के अनुसार देय राज्यांश की कुल धनराशि रू. 2999.597 (रूपये उन्तीस करोड़ निन्यानबे लाख उनसठ हजार सात सौ मात्र) के सापेक्ष **प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत (**कालम-8 के अनुसार) **धनराशि रू. 1499.798 लाख** (**रूपये चौदह करोड़ निन्यानबे लाख उन्यासी हजार आठ सौ मात्र)** अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्योंके विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तदहेतु इस शासनादेश के संलग्नक तालिका के कालम-9 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में संलग्नक तालिका के स्तम्भ-10 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(7) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2019) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(11) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(12) कार्य की विशिष्टयाँ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(14) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तत्कालीन आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(15) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सा`पेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विविरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-850/दस-2018, दिनांक 06 नवम्बर, 2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-37/2018/1472(1)/46-1-18-1000(79)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।

5- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।

6- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।

7- प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र., लखनऊ।

8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।

9- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

10- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।

11- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

12- संबंधित जनपदों के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।

13- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

14- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2,

15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,

16- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-37/2018/1472/46-1-18-1000(79)/2017, लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2018 का संलग्नक।

क्र0	जनपद	सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	लंबाई (कि0मी0)	अनुमानित लागत (ला0रू0)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला0रू0)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला0रू0)	वानिकी करण की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला0रू0)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु वानिकी करण सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहारनपुर	1	आमकी से पिरड़ शेष भाग।	0.3300	12.6300	10.1040	5.0520	0.0220	0.5540	4.4760
2	सहारनपुर	2	चन्दना कोली बाईपास शेष भाग।	0.4000	16.9100	13.5280	6.7640	0.0300	0.7420	5.9920
3	सहारनपुर	3	रण्डौल रजवाहे से रवासौली।	1.1000	47.4600	37.9680	18.9840	0.0830	2.0810	16.8200
4	सहारनपुर	4	निजानन्द आश्रम से जड़ौदा पाण्डा बड़गांव की ओर।	1.0000	46.4500	37.1600	18.5800	0.0810	2.0370	16.4620
5	सहारनपुर	5	काज़ीपुर पुल से नानवाखेड़ी।	0.5000	19.6400	15.7120	7.8560	0.0340	0.8610	6.9610
			जनपद योग	**3.3300**	**143.0900**	**114.4720**	**57.2360**	**0.2500**	**6.2750**	**50.7110**
6	मु0 नगर	1	बडसू सलावा मार्ग	0.6700	30.3310	24.2650	12.1330	0.0530	1.3300	10.7500
7	मु0 नगर	2	फुलत राइट जौली मार्ग	1.2300	63.2350	50.5880	25.2940	0.1110	2.7730	22.4100
8	मु0 नगर	3	खानपुर वाजीदपुर मार्ग	1.0000	42.2920	33.8340	16.9170	0.0740	1.8550	14.9880
9	मु0 नगर	4	ग्राम भोकरहेडी से ग्राम शुक्रतारी मार्ग	1.3500	49.2010	39.3610	19.6800	0.0860	2.1570	17.4370
10	मु0 नगर	5	ग्राम अथाई से ग्राम बेलडा की ओर	0.9500	37.3500	29.8800	14.9400	0.0650	1.6370	13.2380
11	मु0 नगर	6	कुटबी खतौला मार्ग से ढिढावली करवाड़ा मार्ग	0.7250	38.2330	30.5860	15.2930	0.0670	1.6760	13.5500
12	मु0 नगर	7	शाहपुर मन्सूरपुर मार्ग से निजामपुर पेन्टेड रोड तक	0.4200	20.5210	16.4170	8.2090	0.0360	0.9000	7.2730
13	मु0 नगर	8	जन्धेड़ी में नहर पटरी से चितौड़ा मोड तक	0.7800	33.1240	26.4990	13.2490	0.0580	1.4530	11.7380
14	मु0 नगर	9	ग्रम बढीवाला मैन रोड से उत्तराखण्ड की सीमा की ओर	1.0000	35.7550	28.6040	14.3020	0.0630	1.5680	12.6710
			जनपद योग	**8.1250**	**350.0420**	**280.0340**	**140.0170**	**0.6130**	**15.3490**	**124.0550**
15	मेरठ	1	ढढरा से बहरामपुर	1.0000	47.1100	37.6880	18.8440	0.0830	2.0650	16.6960
16	मेरठ	2	सरधना जुल्हेडा रोड जुल्हेडा काक्केपुर मार्ग	0.4000	18.2800	14.6240	7.3120	0.0320	0.8010	6.4790
17	मेरठ	3	बफावत से खिर्वा की ओर मार्ग	0.4000	17.9600	14.3680	7.1840	0.0320	0.7880	6.3640
18	मेरठ	4	गाँवडी राजवाहे के पुल से दर्वेशपुर संपर्क मार्ग	1.9700	98.5200	78.8160	39.4080	0.1730	4.3200	34.9150
19	मेरठ	5	गेझा चन्दौरा संपर्क मार्ग	0.8000	38.9800	31.1840	15.5920	0.0680	1.7090	13.8150
20	मेरठ	6	मौहिउद्दीनपुर. खरखौदा रोड से बहादरपुर मार्ग	1.3000	61.7800	49.4240	24.7120	0.1080	2.7090	21.8950
			जनपद योग	**5.8700**	**282.6300**	**226.1040**	**113.0520**	**0.4960**	**12.3920**	**100.1640**
21	गाजियाबाद	1	ग्राम तिवड़ा काली सड़क से तिवड़ा सीकरी बाईपास मार्ग का शेष भाग	0.7000	33.7860	27.0290	13.5140	0.0600	1.4820	11.9720
			जनपद योग .	**0.7000**	**33.7860**	**27.0290**	**13.5140**	**0.0600**	**1.4820**	**11.9720**
22	हापुड	1	छपकौली जूनियर हाण् स्कूल से काकोड़ी सत्तावन मार्ग द्वितीय भाग	0.8200	43.6350	34.9080	17.4540	0.0770	1.9140	15.4630
			जनपद योग	**0.8200**	**43.6350**	**34.9080**	**17.4540**	**0.0770**	**1.9140**	**15.4630**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

23	बुलंदशहर	1	मडोना से अलवास बातरी मार्ग का शेष भाग	0.5000	27.3320	21.8660	10.9330	0.0480	1.1990	9.6860
24	बुलंदशहर	2	मुक्तेश्वरा बिहरा बम्बे के पुल से नीम चाना मार्ग रोड तक प्रथम भाग	0.5000	26.3830	21.1060	10.5530	0.0460	1.1570	9.3500
25	बुलंदशहर	3	हाजीपुर से जलालपुर मार्ग का अवशेष भाग	0.5000	27.9700	22.3760	11.1880	0.0490	1.2260	9.9130
			जनपद योग	**1.5000**	**81.6850**	**65.3480**	**32.6740**	**0.1430**	**3.5820**	**28.9490**
26	बिजनौर	1	बुआपुर नत्थू (मिलक) से अजीतपुर दासी मनकुओं मार्ग तक	0.4700	24.8970	19.9180	9.9590	0.0440	1.0920	8.8230
27	बिजनौर	2	सराय परैनी पेंटिंग रोड से तिगरी फतेहपुर मार्ग	1.0000	65.0350	52.0280	26.0140	0.1140	2.8510	23.0490
28	बिजनौर	3	मंदारीपुर से छजुपुरा अवशेष मार्ग	0.6000	25.7380	20.5900	10.2950	0.0450	1.1290	9.1210
29	बिजनौर	4	बुन्दकी स्टेशन मार्ग से हरगनपुर तक	0.8000	42.3960	33.9170	16.9580	0.0750	1.8590	15.0240
30	बिजनौर	5	नौरंगीबाग रोड (धर्मनगरी) से नवलपुर रोड तक	1.5000	79.4370	63.5500	31.7750	0.1390	3.4830	28.1530
31	बिजनौर	6	कृष्णा कालेज से नहर की पटरी गंगदासपुर मार्ग तक	1.0200	50.4410	40.3530	20.1770	0.0890	2.2120	17.8760
32	बिजनौर	7	नगीना रोड(ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल) से नहर की पटरी ग्राम फरीदपुर भोगी नहर के पुल तक	0.6200	31.3050	25.0440	12.5220	0.0550	1.3720	11.0950
33	बिजनौर	8	साबूवाला से हल्लोवाली तक	1.0000	50.5330	40.4260	20.2130	0.0880	2.2160	17.9090
34	बिजनौर	9	बिन्जाहेड़ी से अलीपुर जट	0.6600	32.8780	26.3020	13.1510	0.0580	1.4410	11.6520
35	बिजनौर	10	बेरखेड़ा से जटपुरा होते हुये शेरगढ़ की ओर प्रथम भाग	1.0000	56.6000	45.2800	22.6400	0.0990	2.4820	20.0590
			जनपद योग	**8.6700**	**459.2600**	**367.4080**	**183.7040**	**0.8060**	**20.1370**	**162.7610**
36	अमरोहा	1	चौधरपुर से जिवाई मार्ग	1.3500	69.0860	55.2690	27.6350	0.1210	3.0300	24.4840
			जनपद योग	**1.3500**	**69.0860**	**55.2690**	**27.6350**	**0.1210**	**3.0300**	**24.4840**
37	मुरादाबाद	1	सिरसा ठाठ मेनरोड बसन्तसिंह के टयूबवेल होते हुये सिरसा तक	0.8500	60.5150	48.4120	24.2060	0.1060	2.6540	21.4460
38	मुरादाबाद	2	खानपुर मानपुर कॉवर पथ होते हुये पी.डबलू.डी. रोड तक	0.8000	48.2570	38.6060	19.3030	0.0840	2.1160	17.1030
			जनपद योग	**1.6500**	**108.7720**	**87.0180**	**43.5090**	**0.1900**	**4.7700**	**38.5490**
39	सम्भल	1	बिलालपत मार्ग से खानपुर बन्द मार्ग	1.0000	69.6130	55.6900	27.8450	0.1220	3.0530	24.6700
			जनपद योग	**1.0000**	**69.6130**	**55.6900**	**27.8450**	**0.1220**	**3.0530**	**24.6700**
40	रामपुर	1	परम मोहनपुर मार्ग से परम मार्ग	0.5500	37.5560	30.0450	15.0230	0.0660	1.6470	13.3100
			जनपद योग	**0.5500**	**37.5560**	**30.0450**	**15.0230**	**0.0660**	**1.6470**	**13.3100**
41	बरेली	1	प्राथमिक स्कूल ग्राम भरतौल से खजुरिया रोड तक	0.8000	42.6700	34.1360	17.0680	0.0750	1.8710	15.1220
42	बरेली	2	मनकरी से ठिरिया खेतल शेष भाग	0.5000	39.1200	31.2960	15.6480	0.0680	1.7160	13.8640
			जनपद योग	**1.3000**	**81.7900**	**65.4320**	**32.7160**	**0.1430**	**3.5870**	**28.9860**
43	पीलीभीत	1	भगवन्तपुर बझेड़ा से नरायन नगला गॉव तक	0.7000	38.4900	30.7920	15.3960	0.0670	1.6870	13.6420
44	पीलीभीत	2	पैनिया कटैया रोड से रम्बौझा गजना मार्ग	0.5250	29.6100	23.6880	11.8440	0.0520	1.2990	10.4930
			जनपद योग	**1.2250**	**68.1000**	**54.4800**	**27.2400**	**0.1190**	**2.9860**	**24.1350**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

45	शाहजहांपुर	1	रेलवे फाटक से बिलंदापुर गाँव तक(रौजा रजवाहा तक)भाग.1	0.6700	54.1800	43.3440	21.6720	0.0950	2.3750	19.2020
			जनपद योग	**0.6700**	**54.1800**	**43.3440**	**21.6720**	**0.0950**	**2.3750**	**19.2020**
46	लखीमपुर खीरी	1	बरबर जहानीखेडा मार्ग से गदनापुर मार्ग प्रथम भाग	1.0000	60.3820	48.3060	24.1530	0.1060	2.6470	21.4000
47	लखीमपुर खीरी	2	मकसूदपुर साधूबाबा आश्रम से सेमराघाट मार्ग	0.9000	55.0640	44.0510	22.0260	0.0970	2.4150	19.5140
48	लखीमपुर खीरी	3	खमरिया प्राथमिक विधालय से ढकिया मार्ग	0.4500	27.3660	21.8930	10.9470	0.0480	1.2000	9.6990
49	लखीमपुर खीरी	4	महोलिया से लौकीखेडा वाया देवलरिया	1.0000	67.3910	53.9130	26.9560	0.1180	2.9550	23.8830
50	लखीमपुर खीरी	5	अलीगंज मार्ग से ववेसर मार्ग प्रथम भाग	1.0000	68.8160	55.0530	27.5260	0.1200	3.0170	24.3890
51	लखीमपुर खीरी	6	पेन्टेड रोड नहर पटरी से बिलरिया मार्ग	0.4000	24.4250	19.5400	9.7700	0.0430	1.0710	8.6560
52	लखीमपुर खीरी	7	लखीमपुर बिजुआ मार्ग से बस्तौली सम्पर्क मार्ग उत्तर नाले तक	1.0000	59.0770	47.2620	23.6310	0.1030	2.5900	20.9380
53	लखीमपुर खीरी	8	ग्राम छिटहा से रंजीतनगर सम्पर्क मार्ग	1.0000	59.1580	47.3260	23.6630	0.1040	2.5940	20.9650
54	लखीमपुर खीरी	9	भीरा-पलिया मार्ग से बोझवा मार्ग	1.3000	77.2640	61.8110	30.9050	0.1350	3.3880	27.3820
55	लखीमपुर खीरी	10	चकपुरवा मार्ग से गोठी मजरा ढखेरवा खालसा मार्ग प्रथम भाग	1.0000	63.3920	50.7140	25.3570	0.1110	2.7790	22.4670
56	लखीमपुर खीरी	11	नौरगाबाद फरदहिया मार्ग से टापरीपुरवा मार्ग	0.4200	36.9510	29.5610	14.7810	0.0650	1.6200	13.0960
57	लखीमपुर खीरी	12	महेवागंज बेडनापुर मार्ग से देवरिया तक	0.5000	30.5450	24.4360	12.2180	0.0540	1.3400	10.8240
58	लखीमपुर खीरी	13	मरखापुर ओयल रोड से भुडपुरवा मार्ग द्वितीय भाग	0.5000	32.3590	25.8870	12.9440	0.0570	1.4190	11.4680
59	लखीमपुर खीरी	14	हरौवा चौराहा से गोपालापुर मार्ग का अवशेष भाग	0.4840	30.4090	24.3270	12.1640	0.0540	1.3340	10.7760
60	लखीमपुर खीरी	15	सुमेरनगर से चटक यादव के घर तक	0.8500	51.7640	41.4110	20.7050	0.0910	2.2700	18.3440
61	लखीमपुर खीरी	16	जरिया से मियांपुर तक	0.5000	39.9680	31.9740	15.9870	0.0700	1.7530	14.1640
62	लखीमपुर खीरी	17	परसपुर मथना मार्ग से विश्रामपुर वाया गदरायन गुलाब मार्ग	0.8000	64.7110	51.7690	25.8840	0.1140	2.8370	22.9330
63	लखीमपुर खीरी	18	अख्तियारपुर से सेमरिया हनुमान गढी मार्ग	1.2000	74.2320	59.3860	29.6930	0.1300	3.2550	26.3080
			जनपद योग	**14.3040**	**923.2740**	**738.6200**	**369.3100**	**1.6200**	**40.4840**	**327.2060**
64	सीतापुर	1	गौरिया भिठौरा मार्ग से ग्राम रामनगर तक	0.8500	71.0370	56.8300	28.4150	0.1240	3.1150	25.1760
65	सीतापुर	2	उदयपुर रोड से कैमहरा	0.7800	64.1580	51.3260	25.6630	0.1130	2.8130	22.7370
66	सीतापुर	3	चमखर पुलिया से नहर पटरी पर साहबगंज की पुलिया तक	1.2500	104.0990	83.2790	41.6390	0.1820	4.5640	36.8930
67	सीतापुर	4	रमुवापुर से सैगड़ा मार्ग	0.6000	51.0780	40.8620	20.4310	0.0900	2.2390	18.1020
68	सीतापुर	5	कटियारा से नकुरीकला	0.9000	58.8370	47.0700	23.5350	0.1030	2.5800	20.8520
69	सीतापुर	6	मजालिसपुर-रत्नापुर पक्के मार्ग से चौबगा	0.7000	43.3200	34.6560	17.3280	0.0760	1.9000	15.3520

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			जनपद योग	**5.0800**	**392.5290**	**314.0230**	**157.0110**	**0.6880**	**17.2110**	**139.1120**
70	हरदोई	1	नंगापुरवा से रेउरी मार्ग तक	1.4300	110.4900	88.3920	44.1960	0.1940	4.8450	39.1570
			जनपद योग	**1.4300**	**110.4900**	**88.3920**	**44.1960**	**0.1940**	**4.8450**	**39.1570**
71	बाराबंकी	1	विद्यानगर पीण्एम्ण्जीण्एसण्वाईण् रोड से बछलनपुरवा मार्ग	0.3000	16.6210	13.2970	6.6480	0.0290	0.7290	5.8900
			जनपद योग	**0.3000**	**16.6210**	**13.2970**	**6.6480**	**0.0290**	**0.7290**	**5.8900**
72	बलरामपुर	1	भगौतापुर पेन्टेड रोड से राजघाट-प्रथम भाग	0.8000	64.3000	51.4400	25.7200	0.1130	2.8190	22.7880
73	बलरामपुर	2	पी0 डब्लू0 डी0 मार्ग सायेडीह ग्राम से खलिहान होते हुए पश्चिम छोर तक	0.5500	34.1100	27.2880	13.6440	0.0600	1.4950	12.0890
74	बलरामपुर	3	रानीजोती मार्ग पर नौव्वा से भूडकुडहा-प्रथम भाग	0.5000	31.8700	25.4960	12.7480	0.0560	1.3980	11.2940
75	बलरामपुर	4	रामपुर मुरार नहर से जोगिया करहिया ग्राम तक	0.5000	28.3400	22.6720	11.3360	0.0490	1.2430	10.0440
			जनपद योग	**2.3500**	**158.6200**	**126.8960**	**63.4480**	**0.2780**	**6.9550**	**56.2150**
76	बहराईच	1	मन्नीटांड -खानपुर पी. एम. जी. एस. वाई मार्ग से विशुनपासी का पुरवा तक	0.6000	35.5100	28.4080	14.2040	0.0630	1.5570	12.5840
			जनपद योग	**0.6000**	**35.5100**	**28.4080**	**14.2040**	**0.0630**	**1.5570**	**12.5840**
77	बस्ती	1	विक्रमजोत टूटीभीटी मार्ग से प्राथमिक विधालय लजघटा से ग्राम कलानी खुर्द मार्ग पर मिटटी से लेपन कार्य।	0.4500	33.0300	26.4240	13.2120	0.0580	1.4480	11.7060
78	बस्ती	2	गौर वाल्टरगंज मार्ग से अर्जुनवीरो सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग।	0.6500	49.9900	39.9920	19.9960	0.0880	2.1920	17.7160
79	बस्ती	3	मरवटिया तिवारी प्रधानमत्री सडक से रमापतिपुर जोत सडक का अवशेष भाग।	0.5000	37.5250	30.0200	15.0100	0.0660	1.6460	13.2980
80	बस्ती	4	गौर हलुवा मार्ग से हरनाखुरी गाव तक।	0.6500	48.9300	39.1440	19.5720	0.0860	2.1450	17.3410
			जनपद योग	**2.2500**	**169.4750**	**135.5800**	**67.7900**	**0.2980**	**7.4310**	**60.0610**
81	कुशीनगर	1	तरया सुजान सिराजपुर पिच रोड से तरया सुन्दर सलेमगढ़ पिच रोड तक	0.7500	59.7500	47.8000	23.9000	0.1050	2.6200	21.1750
			जनपद योग	**0.7500**	**59.7500**	**47.8000**	**23.9000**	**0.1050**	**2.6200**	**21.1750**
				63.8240	**3749.494**	**2999.5970**	**1499.7980**	**6.5760**	**164.4110**	**1328.8110**

(रूपये चौदह करोड़ निन्यानबे लाख उन्यासी हजार आठ सौ मात्र)

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in